राजस्थान सरकार
निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण
विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर (राजस्थान)302005
ईमेल–dir-pen-rj@nic.in , दूरभाष न. 0141–2740538,2741687
वेबसाईटः– rajpension.nic.in, pension.raj.nic.in

कमांकः– निपेवि / पीसी / ई–कुबेर / 2020–21 2181-2290K 03-01-2022 दिनांकः–

विभागाध्यक्ष
समस्त।

विषयः– बैंको के स्थान पर इस विभाग द्वारा केन्द्रीयकृत पेंशन वितरण हेतु अतिरिक्त सूचना उपलब्ध करवाने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि माह दिसम्बर 2021 से पेंशन वितरण का कार्य राष्ट्रीकृत बैंको के स्थान पर रिजर्व बैंक के ई–कुबेर सॉफ्टवेयर से निदेशालय पेंशन विभाग में अतिरिक्त निदेशक (मुख्यालय) एवं केन्द्रीयकृत पेंशन वितरण अधिकारी द्वारा किया जा रहा है। इस अनुभाग द्वारा पेंशनर्स को पेंशन स्लिप, आयकर कटौती फार्म–16 एवं अन्य सूचनाऐं पेंशनर / पारिवारिक पेंशन को सीधे ही मोबाईल / ई–मेल के माध्यम से दी जावेगी इसके अतिरिक्त ग्रेच्यूटी एवं कम्यूटेशन की अधिकृतियों का भुगतान भी शीघ्र ही इस अनुभाग द्वारा पेंशनर की व्यक्गित उपस्थिति के बिना चालू किया जावेगा। अतः इस संबंध में मोड्यूल / पोर्टल पर शीघ्र ही आवश्यक सुविधा प्रदान की जावेगी ताकि पेंशनर द्वारा ऑनलाईन जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जा सके। पेंशन परिलाभों का भुगतान बिना किसी विलम्ब के एवं बिना पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर की उपस्थिति के बिना किये जाने के लिये कुछ सूचनाओ का पूर्व में ही इस विभाग में प्राप्त होना आवश्यक है।

अतः निवेदन है कि सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियो / अधिकारियो के पेंशन कुलक में तथा जिन कर्मचारियो के सेवानिवृति से पूर्व अग्रिम रूप से पेंशन अधिकृतियां जारी की जा चुकी है, उनकी निम्नलिखित सूचना भिजवाना सुनिश्चित करें:–

1. पेंशन / पारिवारिक पेंशनर का मोबाईल न.
2. पेंशन / पारिवारिक पेंशनर के पेन न. मय प्रति
3. पेंशन / पारिवारिक पेंशनर आधार न. मय प्रति
4. पेंशन / पारिवारिक पेंशनर की ई–मेल आई.डी
5. पेंशन / पारिवारिक पेंशनर के बैंक खाते का विवरण (बैंक का नाम / शाखा का नाम / आई. एफ.एस.सी. कोड / खाता संख्या) बैंक पास बुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति संलग्न करावें।

ग्रेच्यूटी एवं कम्यूटेशन राशि का भुगतान पेंशनर की व्यक्गित उपस्थिति एवं पहचान के बिना किया जाना है। अतः कृपया यह भी सुनिश्चित किया जावें की राजस्थान (सिविल सेवा)

पेंशन नियम –1996 के नियम 84 के प्रावधानो के अनुसार पेंशन दस्तावेजो को अग्रेषित करने के बाद कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है, जिसका स्वीकार्य पेंशन की राशि पर अथवा अस्थाई अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र में दिये गये आंकडों पर प्रभाव पडता है एवं जिनके कारण पीपीओ, जीपीओ एवं सीपीओ परिवर्तित/निरस्त करने पडेंगे, तो ऐसी घटना (यथा कर्मचारी के विरूद्व विभागीय जाँच प्रारम्भ करना, पेंशन दस्तावेज अग्रेषित करने के पश्चात् की गई अर्हकारी सेंवा के रूप में स्वीकार नही करना एवं कर्मचारी की मृत्यु) की सूचना आवश्यक रूप से प्रेषित करने हेतु अपने अधीनस्थ कार्यालयध्यक्षों को पाबंद किया जावें ताकि पेंशन परिलाभो का भुगतान कर्मचारी/पेंशनर की मृत्यु की स्थिति में भी सही दावेदार को समय पर मिल सके।

भवदीय

(संजय सोलंकी)
निदेशक